फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

सरकार जरिये एस. एच. ओ. रेनवाल मांजी बनाम अमजद खां व अन्य

केस संख्या 49 /2022 (गो-वंशीय पशु अधिनियम 1995)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
22-02-2022	पत्रावली पेश हुई। विभागीय पैरोकार उपस्थित है। अप्रार्थी अमजद खां के अधिवक्ता उपस्थित है। विभागीय पैरोकार ने थानाधिकारी पुलिस थाना रेनवाल मांजी की एफआईआर संख्या 604/2021 के अनुसार दिनांक 21.10.2021 को कस्बा रेनवाल मांजी में दौराने नाकाबन्दी ट्रक नम्बर आरजे 19 जीबी 9831 में कुल 21 गो वंश उम्र लगभग 2 से 3 वर्ष को ठूंस ठूंस भर कर बिना सक्षम अधिकारी की अनुज्ञा के परिवहन किया जा रहा था, इसलिए गोवंश व ट्रक को कब्जे राज लिया गया है। थानाधिकारी पुलिस थाना रेनवाल मांझी द्वारा जब्त गो वंश को मॉ दुर्गा गौ शाला सेवा समिति तन हरसूलिया में पहुँचा कर धारा 5/8, 6/8 राजस्थान गो वंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियम) अधिनियम 1995 के तहत यह इस्तगासा पेश किया है। अप्रार्थी अमजद खां ने उक्त प्रकरण में जब्त ट्रक को जमानत सुपुर्दगी में दिये जाने का प्रार्थना पत्र पेश किया है। इस्तगासा प्राप्त होने पर संबंधित थानाधिकारी पुलिस थाना चाकसू से केस डायरी तलब की गई। उभय पक्ष को गौर से सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण के कब्जे से ट्रक नम्बर आरजे 19 जीबी 9831 में कुल 21 गो वंश उम्र लगभग 2 से 3 वर्ष को ठूंस ठूंस कर मुँह रस्सियों से बांध कर ऊपर फन्टे लगा कर बाजरे के चारे की 100 बोरियां भर कर रखी पाई गई है। बोरियों के नीचे गो वंश पाया गया है। अप्रार्थीगण ने गो वंश के परिवहन बाबत किसी प्रकार का कोई अनुज्ञापत्र/परमिट न तो मौके पर प्रस्तुत किया गया और ही दौराने सुनवाई प्रस्तुत किया गया है। राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियम) अधिनियम 1995 धारा–7, में अभिग्रहित गो वंशीय पशु की अभिरक्षा और निपटारा किये जाने की ही अधिकारिता है। इसके लिए गो वंश को थानाधिकारी पुलिस थाना रेनवाल मांजी द्वारा पूर्व में ही मॉ दुर्गा गौ शाला सेवा समिति तन हरसूलिया की सुपुर्दगी में दे दिया गया है। गोवंश के लिए किसी ने प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया है। अप्रार्थी द्वारा ट्रक में गो वंश को बिना किसी चिकित्सक रिपोर्ट व बिना सक्षम अधिकारी की अनुज्ञप्ति के क्षमता से अधिक क्रूरता के साथ भर कर ले जाते पाये गये है। माननीय सिविल न्यायालय द्वारा जब्त ट्रक को बतौर साक्ष्य सबूत तलब किया जा सकता है। इसलिए प्रकरण में जब्त ट्रक को इस न्यायालय द्वारा जमानत सुपुर्दगी में दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। फलस्वरूप प्रार्थी अमजद खां द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम हो। जिला कलक्टर जयपुर	